

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2042

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना की प्रगति और कार्यान्वयन

†2042. श्री मनोज तिवारी:

श्री बलभद्र माझी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात या प्रचालित की गई हैं;

(ख) आज तक संसाधित भुगतान सुरक्षा सहायता दावों की कुल संख्या कितनी है और इसके लिए पीएसएम से कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक के कोई मामले दर्ज किए गए हैं और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन प्रदर्शन, उपयोग दरों या सेवा परिणामों का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने बताया है कि पीएम ई-बस सेवा- भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना 28 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित की गई थी। पीएसएम योजना के दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया प्रकाशित की जा चुकी हैं। 2 दिसंबर, 2025 तक, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिजर्व बैंक में प्रत्यक्ष डेबिट अधिदेश (डीडीएम) जमा कर दिया है, जो योजना के तहत पात्र होने के लिए एक आवश्यक शर्त है।

इसके अलावा, पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 5,918 बसों की निविदा जारी की गई थी और संबंधित प्राधिकरण/नगरपालिका द्वारा 1,175 बसों के लिए रियायत समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, सीईएसएल ने पीएम ई-ड्राइव के तहत 10,900 बसों की निविदा जारी की है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त स्थिति के बारे में एमएचआई ने बताया है कि, अब तक, पीएसएम योजना के तहत किसी भुगतान चूक की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और कोई दावा नहीं किया गया है।

(घ) और ड.) एमएचआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू)/प्राधिकरण बस ऑपरेटर के साथ सीधे रियायत समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। राज्य परिवहन उपक्रमों को इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन प्रदर्शन की निगरानी करने की आवश्यकता है, क्योंकि सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) के तहत ऑपरेटरों को भुगतान प्रत्यक्ष रूप से चलाए गए किलोमीटर, उपलब्ध बसों की संख्या और दी गई सेवा जैसे पैरामीटरों पर निर्भर करता है।